अनुसंधान एवं विस्तार शाखा की संक्षेपिका

- मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के अंतर्गत 164 वन रोपणियॉ संचालित हैं। इन रोपणियों में उच्च गुणवत्ता के विभिन्न प्रजातियों के तथा ग्राफ्टेड पौधे तैयार किये जा रहे है।
- प्रदेश में पौधों का मानकीकरण पौधों की आयु, ऊँचाई एवं कॉलर गोलाई के साथ–साथ बीजों का भी मानकीकरण किया गया है ताकि वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित हो सके। इन पौधों का प्रदाय विभागीय वृक्षारोपण के अलावा निजी क्षेत्र के पौध रोपण में किया जाता है।
- प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको–टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु सर्वप्रथम अनुसंधान विस्तार वृत्त ग्वालियर की तपोवन रोपणी एवं अनुसंधान विस्तार वृत्त रतलाम की उज्जैन जिले में क्षिप्रा विहार रोपणी एवं इन्दौर जिले की बड़गोंदा तथा रीवा जिले की जयंतीकुंज रोपणी इस संबंध में कार्य प्रगति पर है।
- त्रैमासिक पत्रिका ''म0प्र0 वनांचल संदेश'' का प्रकाशन प्रत्येक 3 माह में किया जाता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानि
म.प्र. भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष—अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल
दूरभाषः 0755—2674222, 2674282 फैक्सः 2570852, ई—मेलःapccfre@mp.gov.in

क्रमांक / अनु.वि. / 2018 / अनु. / 170 / 2902 भोपाल, दिनांक : 16/11/18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
फॉरेस्ट मैन्युअल एवं नीति विश्लेषण,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल से प्राप्त अंतिम ड्राफ्ट पर सुझाव / अभिमत प्राप्त करने बाबत्।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक / फॉ.मै. / 2018 / 100 दिनांक 04.10.2018

---- 000 ----

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार विशिष्ट कार्य एवं दायित्व –

1) वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्र के बाहर वृक्षावरण हेतु गुणवत्तायुक्त पौधे तैयार करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त को दिशा—निर्देश देना।
2) पौधों का वितरण / विक्रय करने बाबत् समय—समय पर दिशा—निर्देश
3) कृषि वानिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, मेड़ वृक्षारोपण एवं वनेत्तर क्षेत्रों में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन हेतु प्रचार—प्रसार हेतु दिशा—निर्देश
4) राज्य वन अनुसंधान संस्थान एवं उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान एवं अन्य अनुसंधान संस्थाओं से प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों पर कार्यवाही।
5) बीजोत्पादन क्षेत्रों एवं बीजोद्यानों का रखरखाव, बीज संग्रहण व उपचार करने तथा नमूना भू—खण्डों तथा प्रायोगिक भू—खण्डों के रखरखाव एवं अनाधिक मापन करने बाबत् अधिनस्थ को निर्देश देना।
6) विभागीय बजट एवं पर्यावरण वानिकी के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं बजट नियंत्रण
7) वन अनुसंधान, वन विस्तार एवं लोकवानिकी से सम्बंधित विषयों पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा राज्य शासन को समय—समय पर अवगत कराया
8) आवंटित वृत्तों का वार्षिक निरीक्षण।
9) लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार कर वन बल प्रमुख तथा राज्य सरकार को भेजना

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल

(1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष–अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल
दूरभाष: 0755–2674222, 2674282 फैक्स: 2570852, ई–मेल: apccfre@mp.gov.in

क्रमांक/अनु.वि./2018/अनु./170/ 2901 *भोपाल, दिनांक :* 16/11/18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
फॉरेस्ट मैन्युअल एवं नीति विश्लेषण,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल से प्राप्त अंतिम ड्राफ्ट पर सुझाव/अभिमत प्राप्त करने बाबत्।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक/फॉ.मै./2018/100 दिनांक 04.10.2018

----- 000 -----

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार विशिष्ट कार्य एवं दायित्व –

1) वन अनुसंधान, वन विस्तार एवं लोक वानिकी से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सलाह देना।

2) प्रदेश में वन विभाग तथा वानिकी सेक्टर से सम्बन्धित अनुसंधान आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनकी प्राथमिकता निर्धारण करना तथा तद्नुसार प्रदेश के लिए वन अनसुंधान की दीर्घकालिक एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

3) अध्ययन एवं अनुसंधान' मद में प्राप्त बजट के उपयोग हेतु अनुसंधान कार्य योजना के अनुरूप अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों भारत सरकार के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय संस्थाओं से आमंत्रित करना, विशेषज्ञ समिति से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराना; समिति की अनुशंसा पर बजट सीमा के अन्तर्गत प्रस्तावों को स्वीकृत करना, प्रस्तावों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना, "परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा अनुयोज्य (actionable) अनुसंधान परिणामों का प्रचार–प्रसार करना।

4) अधीनस्थ अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को बजट आवंटन करना तथा उन पर प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण रखना।

5) अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

6) प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षावरण वृद्धि हेतु उपयुक्त योजनायें तैयार करना तथा राज्य शासन/केन्द्र सरकार से उनके वित्तपोषण हेतु पहल करना।

7) क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के माध्यम से प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण भण्डार (planting stock) तैयार करने हेतु आधुनिक रोपणिषों की स्थापना, वर्तमान रोपणियों का उन्नयन विस्तार व उनमें आवश्यक अधोसंरचना निर्माण, विकेन्द्रीकृत रोपणियों को प्रोत्साहन, रोपणी कार्यों में तैनात अमले तथा विकेन्द्रीकृत रोपणी संचालकों को रोपणी तकनीक में प्रशिक्षण की व्यववस्था करना।

8) उच्च गुणवत्ता के बीजों की प्राप्ति हेतु वन क्षेत्रों में बीज स्थलों (seed stands) का चयन, बीज स्थलों से अवांछित वृक्षों को निकाल कर बीज स्थलों को बीज उत्पादक क्षेत्रों (seed production (areas) में रूपान्तरण, धन (plus) वृक्षों का चयन, बीजोद्यानों (seed orchands) की स्थापना, गुणवत्तायुक्त बीज संग्रहण, उपचार तथा संग्रहित बीज के परीक्षण प्रमाणीकरण व वितरण की कार्य योजना तैयार करवा कर उसका क्षेत्रीय वृत्तों के माध्यम से क्रियान्वयन।

9) वन क्षेत्रों के बाहर खेतों की मेड़ों पर, सडक, रेलवे लाईनों, नहरों तथा नदियों के किनारे, शासकीय एवं सामुदायिक भवनों के परिसरों, घरों की बाडियों एवं पड़त भूमियों में वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, शहरी वानिकी एवं पर्यावरण वानिकी की योजनायें तैयार करवा कर उनका क्रियान्वयन करवाना।

10) वन, पर्यावरण, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा ऊर्जा बचत के प्रति जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाना।

11) विभिन्न प्रकार के रोपणों में लगाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधो की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित मानकों से निम्नतर गुणवत्ता के पौधे न तो विभागीय रोपणों में प्रयुक्त हों और न ही उनका वितरण किया जाये।

12) विभागीय रोपण तथा वन क्षेत्रों के बाहर रोपण हेतु आवश्यक संख्या में गुणवत्तायुक्त पौध तैयार करवाना।

13) निजी स्वामित्व के वन क्षेत्रों तथा सामुदायिक वनों/लोक वनों में लोक वानिकी योजना के प्रोत्साहन हेतु जन जागरण अभियान चलाना।

14) लोक वानिकी योजना अतंर्गत हुई प्रगति की जानकारी समय–समय पर राज्य शासन को उपलब्ध कराना।

15) लोक वानिकी प्रबंधित वन क्षेत्रों का समय–समय पर निरीक्षण करना तथा उनमें प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभावों/परिणामों का मूल्यांकन करना।

16) वन अनुसंधान, पौधों की तैयारी, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के रख–रखाव तथा अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी से संबंधित योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर विभागीय बजट प्रस्तावों में समावेश हेतु वन बल प्रमुख को यथा समय प्रस्तुत करना।

17) वन अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी से सम्बन्धित लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा प्रश्नों/सूचनाओं/प्रस्तावों के प्रारूप उत्तर तैयार करवाकर निर्धारित समय–सीमा में वन बल प्रमुख/राज्य शासन को भेजना।

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल

(1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष–अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाषः 0755–2674222, 2674282 फैक्सः 2570852, ई–मेलःapccfre@mp.gov.in

क्रमांक / अनु.वि. / 2018 / अनु. / 170 / 2903 *भोपाल, दिनांक :* 16/11/18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
फॉरेस्ट मैन्युअल एवं नीति विश्लेषण,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल से प्राप्त अंतिम ड्राफ्ट पर सुझाव / अभिमत प्राप्त करने बाबत्।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक / फॉ.मै. / 2018 / 100 दिनांक 04.10.2018

—— 000 ——

मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार विशिष्ट कार्य एवं दायित्व –

1) प्रभार के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों पर प्रशासनीक नियंत्रण एवं उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना तथा वित्तीय नियंत्रण करना।
2) क्षेत्राधिकार के जिलों के अन्तर्गत आने वाले वनमण्डलों में वन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी / अनुसंधान समस्याओं को चिन्हित कर उनके अध्ययन एवं समाधान हेतु अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी) को प्रस्तुत करना।
3) नमूना भू–खण्डों, परिरक्षण भू–खण्डों एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्रों की स्थापना, रखरखाव तथा मापन।
4) बीज उत्पादन क्षेत्रों तथा बीजोद्यानों की स्थापना, रखरखाव एवं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन।
5) आवश्यकतानुसार ज्ञात श्रोतों से विभिन्न प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीजों का संग्रहण, परीक्षण, उपचार एवं भण्डारण।
6) उन्नत रोपणियों की स्थापना।
7) प्रति वर्ष विभागीय रोपणों एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण हेतु प्रजातिवार पादप भण्डार की आवश्यकता का आंकलन क्षेत्रीय वन अधिकारियों से प्राप्त करना एवं मांग अनुसार मानक पौधे तैयार करवाना।
8) तैयार किये गये पादप भण्डार का विक्रय / वितरण की व्यवस्था स्थापित करना।
9) विकेन्द्रीकृत निजी रोपणियों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा तकनीकी मार्गदर्शन।
10) वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण वृद्धि हेतु प्रचार–प्रसार तथा प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन।
11) कृषि जलवायु क्षेत्र विशिष्ट कृषि वानिकी / प्रक्षेत्र वानिकी / शहरी मॉडल के मॉडल्स का विकास तथा प्रचार–प्रसार साहित्य का वितरण।

12) विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के बीजोपचार, रोपणी तकनीक एवं रोपण तकनीकों के विकास हेतु उपयुक्त अनुसंधान (applied research) एवं क्रियान्वयन।

13) अधीनस्थ अमले को उन्नत रोपणी तकनीकों, बीज संग्रहण, उपचार, भण्डारण, नमूना भू–खण्डों तथा परिरक्षण भू–खण्डों के मापन, प्रायोगिक डिजाइन, आंकड़ों, के विश्लेषण, इत्यादि के विषय में प्रशिक्षण दिलाना।

14) अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त का वर्ष का आय–व्यय का बजट प्रस्ताव तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी) को प्रस्तुत करना।

15) राज्य वन अनुसंधान संस्थान से अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों हेतु समय–समय पर तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करना।

16) जिले स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यानिकी विभाग से समन्वय रखना।

17) वनमण्डल की कार्य आयोजना अनुसार विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

18) RET प्रजातियों एवं NTFP प्रजातियों हेतु संसाधन सर्वेक्षण, बीज संग्रहण, इन प्रजातियों के बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना, पौध तैयारी एवं जागरूकता के कार्यों को गति देना।

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल